उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत गुरू–शिष्य परम्परा के अन्तर्गत संचालित कार्यशाला हेतु गुरूओं के चयन सम्बन्धी विज्ञप्ति

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी) के अन्तर्गत गुरू–शिष्य परम्परा के तहत वर्ष 2020 में प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन हेतु प्रदेश के लोक संगीत की विभिन्न विधाओं यथा–लोक गीत, लोक नृत्य, लोक गाथाओं, लोक वादन तथा लोक गायन में पारंगत एवं परम्परागत अनुसूचित जाति के मूर्धन्य लोक कलाकार जो वर्षो से प्रदेश की लोक संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्द्धन के लिए सतत् प्रयासरत हैं, को उनकी विलुप्त हो रही विधा के संरक्षण/संवर्द्धन हेतु पूर्व की उपलब्धियों के आधार पर गुरूओं के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन चयन किया जाना है।

- प्रत्येक जनपद में गुरू–शिष्य परम्परा के अन्तर्गत कार्यशाला आयोजन के लिए गुरू का चयन किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित जनपद के स्तरीय विभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त गुरूओं का चयन विशिष्टता/उत्कृष्टता के आधार पर किया जायेगा। ऐसे आवेदन को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने विलुप्त होती लोक कलाओं के संरक्षण–संवर्द्धन के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया हो। तदुपरान्त शासन की अनापत्ति/अनुमोदनोपरान्त गुरू का चयन किया जायेगा।
- योजना के अन्तर्गत विलुप्त हो रही लोक कलाओं के लोक कलाकारों जिनकी विशिष्ट उपलब्धि रही हो, को गुरू बनाया जायेगा।
- गुरू द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में स्वयं शिष्यों को चुनाव कर, उन्हें कम से कम प्रतिदिन 05 घण्टे विधिवत सम्बन्धित कला की शिक्षा दी जायेगी।
- कार्यशाला हेतु शिष्यों की संख्या 10 से 15 तक होनी आवश्यक है। सभी शिष्य अनुसूचित जाति के होने आवश्यक हैं। कार्यशाला की अवधि 06 माह निर्धारित रहेगी।
- कार्यशाला हेतु संगतकर्ता भी नामित किया जायेगा, जिसका चयन गुरू द्वारा किया जायेगा।
- गुरू को ₹ 3000.00 (₹ तीन हजार) एवं संगतकर्ता को ₹ 2000.00 (₹ दो हजार) प्रतिमाह मानदेय/प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
- गुरू द्वारा समय–समय पर कार्यशाला संचालन सम्बन्धी रिपोर्ट संस्कृति विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- कार्यशाला प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, मिलन केन्द्र आदि जो संबधित गुरू के ग्राम/स्थान से सम्बधित हो, में निःशुल्क उपलब्धता के आधार पर रखी जायेगी। इस हेतु किसी प्रकार की धनराशि देय नहीं होगी।
- पूर्व में चयनित गुरू पुनः 03 वर्ष के उपरान्त ही इस योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- गुरू द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में शपथ–पत्र प्रदान कराना आवश्यक होगा।

उक्त योजना हेतु प्रदेश के 13 जनपदों से गुरूओं के लिये विलम्बतम् दिनांक 15 मार्च, 2020 तक आवेदन पत्र पूर्ण विवरण/संलग्नको तथा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की संस्तुति सहित **निदेशक, संस्कृति निदेशालय, एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून** के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक अथवा किसी भी कार्य दिवस में स्वयं जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून

Add-3